

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा
पीठासीन अधिकारी :- भवानी सिंह, (आर.ए.एस.)
राजस्व वाद संख्या :- 16/2020

वादी

चन्द्राराम पुत्र श्री सलाराम
जाति माली, निवासी माराजा
नगर, तहसील बिलाड़ा
जिला जोधपुर

बनाम

प्रतिवादीगण

1. सोहनलाल पुत्र श्री सलाराम
2. गणेशराम पुत्र श्री मलाराम
3. संतोषराम पुत्र मलाराम
4. इन्द्रा पुत्री मलाराम
5. पपुड़ी पुत्री मलाराम
6. सीता पत्नी मलाराम
जातियान माली निवासीगण
माराजानगर, तहसील
बिलाड़ा, जिला जोधपुर
7. प्रबन्धक, स्टेट बैंक ऑफ
इण्डिया शाखा बिलाड़ा
8. तहसीलदार बिलाड़ा
जिला जोधपुर

वाद बाबत् बंटवाड़ा, स्थायी निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955


उपस्थिति :- वादी की ओर से श्री नरपतसिंह सोलंकी, एडवोकेट
प्रतिवादी संख्या 1 से 7 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही
प्रतिवादी संख्या 8 सरकारी पैरोकार

निर्णय

दिनांक :- 6/10/22



संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने एक वाद बाबत् बंटवाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का इस आशय का पेश किया कि ग्राम माराजानगर तहसील बिलाड़ा की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 1025 रकबा 0.6472 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1025/1 रकबा 1.4319 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 967 रकबा 1.0679 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 973/3 रकबा 0.7928 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 977/1 रकबा 0.1375 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 878/1 रकबा 0.1537 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 979/1 रकबा 0.5825 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 979/4 रकबा 0.0809 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 980/1 रकबा 0.3641 हैक्टेयर कुल खसरा 9 कुल रकबा 5.2585 हैक्टेयर का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा किया जाकर वादी के 1/3 हिस्से की भूमि का बंटवाड़ा किये जाने हेतु पेश किया। जिस पर वादी द्वारा प्रस्तुत वाद को स्वीकार किया गया तथा उपरोक्त खसरान की भूमि दर्ज वादी के 1/3 हिस्से की भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा प्रस्तुत करने हेतु तहसीलदार बिलाड़ा को आदेश प्रदान किया गया।


सहायक कलेक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

पत्रावली का अवलोकन किया गया वादी का दावा दिनांक 13.04.2022 को प्राथमिक डिक्री किया गया और ग्राम माराजानगर तहसील बिलाड़ा की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर खसरा नम्बर 1025 रकबा 0.6472 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1025/1 रकबा 1.4319 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 967 रकबा 1.0679 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 973/3 रकबा 0.7928 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 977/1 रकबा 0.1375 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 878/1 रकबा 0.1537 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 979/1 रकबा 0.5825 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 979/4 रकबा 0.0809 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 980/1 रकबा 0.3641 हैक्टेयर कुल खसरा 9 कुल रकबा 5.2585 हैक्टेयर भूमि में दर्ज वादी के 1/3 हिस्से का बाई मिटस एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा प्रस्तावित करने हेतु तहसीलदार बिलाड़ा को आदेश प्रदान किया गया था। जिसकी पालना करते हुए तहसीलदार बिलाड़ा ने बंटवाड़ा प्रस्ताव प्रस्तुत किया जो निम्नानुसार है ग्राम माराजानगर तहसील बिलाड़ा की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 1025 रकबा 0.6149 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1025/1 रकबा 0.0485 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 967 रकबा 0.3476 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 978/1 रकबा 0.0768 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 973/3 रकबा 0.2831 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 977/1 रकबा 0.0080 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 979/1 रकबा 0.3278 हैक्टेयर, कुल खसरा 7 कुल रकबा 1.7067 हैक्टेयर वादी चन्द्राराम पुत्र श्री सलाराम, जाति माली सा. देह खातेदार रहन स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा बिलाड़ा के बंट में रखी गयी तथा खसरा नम्बर 1025/1 रकबा 0.6634 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 967 रकबा 0.3476 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 977/1 रकबा 0.1295 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 973/1 रकबा 0.2021 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 980/1 रकबा 0.3641 हैक्टेयर कुल खसरा 5 कुल रकबा 1.7067 हैक्टेयर प्रतिवादी सोहनलाल पुत्र सलाराम, जाति माली सा. देह खातेदार रहन स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा बिलाड़ा के बंट में रखी गयी, खसरा नम्बर 1025/1 रकबा 0.6634 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 967 रकबा 0.3477 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 978/1 रकबा 0.0769 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 973/3 रकबा 0.2831 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 979/1 रकबा 0.2547 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 979/4 रकबा 0.0809 हैक्टेयर कुल खसरा 6 कुल रकबा 1.7067 हैक्टेयर प्रतिवादी गुणेशराम पुत्र मलाराम 1/5 हिस्सा, संतोषराम पुत्र मलाराम 1/5 हिस्सा, इन्द्रा पुत्री मलाराम 1/5 हिस्सा, पपूडी पुत्री मलाराम 1/5 हिस्सा, सीतादेवी पत्नी मलाराम 1/5 हिस्सा जाति माली सा. देह खातेदार रहन पूरा हिस्सा स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा बिलाड़ा के बंट में रखी गयी इसी प्रकार खसरा नम्बर 1025 रकबा 0.0323 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1025/1 रकबा 0.0566 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 976 रकबा 0.0250 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 973/3 रकबा 0.0245 हैक्टेयर कुल खसरा 4 कुल रकबा 0.1384 हैक्टेयर चन्द्राराम पुत्र सलाराम 1/3 हिस्सा, सोहनलाल पुत्र सलाराम 1/3 हिस्सा गुणेशराम पुत्र मलाराम 1/15 हिस्सा, संतोषराम पुत्र मलाराम 1/15 हिस्सा, इन्द्रा पुत्री मलाराम 1/15 हिस्सा, पपूडी पुत्री मलाराम 1/15 हिस्सा, सीतादेवी पत्नी मलाराम 1/15 हिस्सा जाति माली सा. देह खातेदार रहन पूरा हिस्सा स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा बिलाड़ा के बंट में शामिल रखी गयी। बंटवाड़ा प्रस्ताव को लेकर किसी भी पक्षकार ने कोई आपति दर्ज नहीं करवायी है। बंटवाड़ा प्रस्ताव मय नजरी नक्शा को अन्तिम डिक्री का भाग समझा जावे तथा बंटवाड़ा प्रस्ताव के अनुसार भूमि का राजस्व



21

सहायक कलेक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

रेकॉर्ड व नक्शा ट्रेस में अलग अलग इन्चाज करने का आदेश तहसीलदार बिलाड़ा को दिया जाता है एवं प्रतिवादीगण को जरिये रथाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वो वादी की बंटसुदा, खातेदारी भूमि में किसी प्रकार की दखलन्दाजी न तो स्वयं करे एवं न अन्य किसी से करावे। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करे। अन्तिम डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फ़ैसलसुमार होकर दाखिल दफ़तर हो।



24
(भवानी सिंह)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

निर्णय आज दिनांक 6/10/22 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।



24
(भवानी सिंह)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

अन्तिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा,

ब इजलास भवानी सिंह, आर.ए.एस.

वादी

बनाम

प्रतिवादीगण

चन्द्राराम पुत्र श्री सलाराम
जाति माली, निवासी माराजा
नगर, तहसील बिलाड़ा
जिला जोधपुर

1. सोहनलाल पुत्र श्री सलाराम
2. गणेशराम पुत्र श्री मलाराम
3. संतोषराम पुत्र मलाराम
4. इन्द्रा पुत्री मलाराम
5. पपुड़ी पुत्री मलाराम
6. सीता पत्नी मलाराम
जातियान माली निवासीगण
माराजानगर, तहसील
बिलाड़ा, जिला जोधपुर
7. प्रबन्धक, स्टेट बैंक ऑफ
इण्डिया शाखा बिलाड़ा
8. तहसीलदार बिलाड़ा
जिला जोधपुर

दावा अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान टीनेंसी एक्ट 1955


राजस्व वाद संख्या :- 16/2020

निर्णय

दिनांक :- 6/10/22

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व हाजरी श्री नरपतसिंह सोलंकी अधिवक्ता वादी मिनजानिब मुददई प्रतिवादी संख्या 1 से 7 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही, प्रतिवादी संख्या 8 सरकारी पैरोकार मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि ग्राम माराजानगर तहसील बिलाड़ा की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 1025 रकबा 0.6149 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1025/1 रकबा 0.0485 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 967 रकबा 0.3476 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 978/1 रकबा 0.0768 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 973/3 रकबा 0.2831 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 977/1 रकबा 0.0080 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 979/1 रकबा 0.3278 हैक्टेयर, कुल खसरा 7 कुल रकबा 1.7067 हैक्टेयर वादी चन्द्राराम पुत्र श्री सलाराम, जाति माली सा. देह खातेदार रहन स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा बिलाड़ा के बंट में रखी गयी तथा खसरा नम्बर 1025/1 रकबा 0.6634 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 967 रकबा 0.3476 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 977/1 रकबा 0.1295 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 973/1 रकबा 0.2021 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 980/1 रकबा 0.3641 हैक्टेयर कुल खसरा 5 कुल रकबा 1.7067 हैक्टेयर प्रतिवादी सोहनलाल पुत्र सलाराम, जाति माली सा. देह खातेदार रहन स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा बिलाड़ा के बंट में रखी गयी, खसरा नम्बर 1025/1 रकबा 0.6634 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 967 रकबा 0.3477 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 978/1 रकबा 0.0769 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 973/3 रकबा 0.2831 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 979/1 रकबा 0.2547 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 979/4 रकबा 0.0809 हैक्टेयर कुल खसरा 6 कुल रकबा 1.7067 हैक्टेयर प्रतिवादी गुणेशराम पुत्र मलाराम 1/5 हिस्सा, संतोषराम पुत्र मलाराम 1/5 हिस्सा, इन्द्रा पुत्री मलाराम 1/5 हिस्सा, पपूड़ी पुत्री मलाराम 1/5 हिस्सा, सीतादेवी पत्नी मलाराम 1/5 हिस्सा जाति माली




सहायक कलेक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

सा. देह खातेदार रहन पूरा हिस्सा स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा बिलाड़ा के बंट में रखी गयी इसी प्रकार खसरा नम्बर 1025 रकबा 0.0323 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1025/1 रकबा 0.0566 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 976 रकबा 0.0250 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 973/3 रकबा 0.0245 हैक्टेयर कुल खसरा 4 कुल रकबा 0.1384 हैक्टेयर चन्द्राराम पुत्र सलाराम 1/3 हिस्सा, सोहनलाल पुत्र सलाराम 1/3 हिस्सा गुणेशराम पुत्र मलाराम 1/15 हिस्सा, संतोषराम पुत्र मलाराम 1/15 हिस्सा, इन्द्रा पुत्री मलाराम 1/15 हिस्सा, पपूडी पुत्री मलाराम 1/15 हिस्सा, सीतादेवी पत्नी मलाराम 1/15 हिस्सा जाति माली सा. देह खातेदार रहन पूरा हिस्सा स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा बिलाड़ा के बंट में शामलाती रखी गयी। बंटवाड़ा प्रस्ताव को लेकर किसी भी पक्षकार ने कोई आपति दर्ज नहीं करवायी है। बंटवाड़ा प्रस्ताव मय नजरी नक्शा को अन्तिम डिक्री का भाग समझा जावे तथा बंटवाड़ा प्रस्ताव के अनुसार भूमि का राजस्व रेकॉर्ड व नक्शा ट्रेस में अलग अलग इन्द्राज करने का आदेश तहसीलदार बिलाड़ा को दिया जाता है एवं प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वो वादी की बंटसुदा, खातेदारी भूमि में किसी प्रकार की दखलन्दाजी न तो स्वयं करे एवं न अन्य किसी से करावे। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करे।



(भवानी सिंह)

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

तीज - मुबलिग - बाबत् -

खर्चा इस मुकदमे के मय व शरह -सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक -की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 6/10/22 को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
			दर0 तलबाना		
			मीजान		

नोट :-इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नहीं, दर्ज करना चाहिये।



(भवानी सिंह)

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा